न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 28/2017

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ (सायल)

बनाम

जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रमेशचन्द जाति गुर्जर निवासी गडिया मन्दिर मोहल्ला अटरू जिला बाराँ (गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)
2– श्री बालमुकन्द गुर्जर अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 18.10.2021

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रमेशचन्द जाति गुर्जर निवासी गडिया मन्दिर मोहल्ला अटरू जिला बाराँ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना अटरू जिला बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा खेलने, शराब तस्करी, नकबजनी के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्व पुलिस थाना अटरू में वर्ष 2007 से 2017 तक की अवधि में कुल 07 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (5) धारा 19/54 एक्साइज एक्ट (1) भादस (1) के तहत दर्ज हुये है। जिनमे से 04 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासित किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कृत्य किये जाते हैं जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को कुल 04 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जाकर इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:41:18 IST
Reason: SelfAttested

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 08.09.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अटरू में वर्ष 2007 से 2017 तक की अवधि में कुल 07 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (5) धारा 19/54 एक्साइज एक्ट (1) भादस (1) के तहत दर्ज हुये है। जिनमे से 04 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर दौराने बहस प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु निवेदन किया गया कि गैरसालय के विरूद्व वर्ष 2007 से 2017 तक की अवधि के 07 पुराने प्रकरण थाने मे दर्ज है, जिनमे से भी 5 प्रकरणो का न्यायालय से निस्तारण हो चुका है वर्तमान मे कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है। गैरसायल अपने परिवार के साथ मेहनत मजदूरी कर परिवार का शांतिपूर्वक पालन पोषण कर रहा है। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अटरू द्वारा गुण्डा एक्ट का इस्तगासा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत किया गया इस्तगासा खारिज फरमाया जावे।

अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अटरू में वर्ष 2007 से 2017 तक की अवधि में कुल 07 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (5) धारा 19/54 एक्साइज एक्ट (1) भादस (1) के तहत दर्ज हुये है। जिनमे से 04 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रमेशचन्द जाति गुर्जर निवासी गडिया मन्दिर मोहल्ला अटरू जिला बाराँ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार [illegible] 04 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:41:18 IST
Reason: SelfAttested

अतः गैरसायल असलम पुत्र अकरम जाति मुसलमान निवासी टावर कॉलोनी छबडा जिला बाराँ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र अटरू से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रमेशचन्द जाति गुर्जर निवासी गडिया मन्दिर मोहल्ला अटरू जिला बाराँ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना अटरू जिला बाराँ क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, मोठपुर जिला बारॉ़ को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 03.11.2021 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मोठपुर जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना अटरू जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना मोठपुर जिला बारॉ के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **18.10.2021** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:41:18 IST
Reason: SelfAttested